



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 02.04.2026

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा वांछित/पुरूष्कार घोषित अपराधी को किया गिरफ्तार ।

दिनांक 01.04.2026 को स्वॉट टीम एवं थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आवेदक की पत्नी के कान के कुंडल झपट्टा मारकर लेकर भाग जानें के संबन्ध में थाना हाजा पर प्रार्थना पत्र दिया गया । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल धारा 304(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु अभियुक्त की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

दिनांक 01.04.2026 को स्वॉट टीम एवं थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त/पुरूष्कार घोषित अपराधी आबिद पुत्र शेरअली निवासी ग्राम आसिफाबाद थाना किला परिक्षितगढ मेरठ उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया हम लोग सुनसान जगह पर महिला एवं लोगो को अकेला देखकर उनसे बाईक पैसे व ज्वैलरी छीनकर ले जाते है उनसे अपने खर्चे ओर शौक पूरी करते है

अभियुक्त का नाम व पता-

आबिद पुत्र शेरअली निवासी ग्राम आसिफाबाद थाना किला परिक्षितगढ मेरठ उम्र 26 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना वेव सिटी पर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

स्वॉट टीम एवं थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01/02.04.2026 की रात्रि को थाना खोडा पर वादी ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे छोटे भाई बिजेन्द्र की उसकी पत्नी सोनिया ने गला दबाकर हत्या कर दी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 103(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसके क्रम में आज दिनांक 02.04.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्ता सोनिया उर्फ सोनी

पत्नी बिजेन्द्र नि0 शंकर विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को इतवार पुस्ता से गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ करने पर अभियुक्ता ने बताया कि मेरी शादी बिजेन्द्र से करीब 11 वर्ष पहले हुई थी। हमारे दो बेटे एक 09 वर्ष व एक 06 वर्ष का है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब-कुछ ठीक चलता रहा परन्तु उसके बाद हम दोनों की रोजाना छोटी-छोटी बातों को लेकर कहासुनी होती रहती थी। बिजेन्द्र आय-दिन मुझे छोटी-छोटी बातों पर मारता-पीटता था जिससे मैं बहुत तंग आ गयी थी। इसीक्रम में दिनांक 31.03.2026 की रात्रि में भी किसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने आवेश में आकर यह कदम उठाया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता:-

- सोनिया उर्फ सोनी पत्नी बिजेन्द्र नि0 शंकर विहार खोड़ा कालोनी थाना खोड़ा कमि0 गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना खोड़ा पर हत्या के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना खोड़ा पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद व गांजा बिक्री के 840 रुपये बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.04.2026 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्ता साहिदा उर्फ मुन्नी पत्नी आसिफ निवासी डी 589 टोनी का मकान न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व अवैध गांजा बिक्री से 840 रुपये के साथ तिकौना पार्क बंगाली कालोनी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर धारा 8/20/29 एनडीपीएस अधि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि साहब मै और शबनम पत्नी कालू जो दिलशाद कालोनी दिल्ली में रहती है के साथ मिलकर दिल्ली से गांजा खरीद कर लाते है तथा गाजियाबाद ,न्यू सीमापुरी, सीमापुरी दिल्ली के आसपास नशा करने वाले तथा आने जाने वाले लोगो को गांजा बेच देते है। शबनम पत्नी कल्लू जो दिल्ली से गांजा खरीदने गयी हुई है। साहब गलती हो गयी मुझे मांफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. साहिदा उर्फ मुन्नी पत्नी आसिफ निवासी डी 589 टोनी का मकान न्यू सीमापुरी दिल्ली उम्र करीब 28 वर्ष।

2. शबनम पत्नी कल्लू (फरार)।

बरामदगी का विवरण:-

- 1 किलो 200 ग्राम अबैध गांजा व अबैध गांजा बिक्री के 840 रुपये बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्ता शाहिदा उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 36 ग्राम, 820 रूपये नगद व 01 मोबाईल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 01.04.2026 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा ऑपरेशन प्रहार के अन्तर्गत चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ झल्ला पुत्र हारुन निवासी ईदगाह के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रामपुर थाना चाचौल पश्चिम बंगाल उम्र करीब 22 वर्ष को महाराजपुर के खंडहर सिनेमा हाल से स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 36 ग्राम व 820 रूपये नगद व 01 मोबाइल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि यह स्मैक मैं दिल्ली से एक लड़के से लेकर आया था, मैं उस लड़के का नाम पता नहीं जानता हूँ। इस माल को मैं दिल्ली से लाकर गाजियाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में मोटे दामों पर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा कर अपने शौक मौज पूरे करता हूँ। साहब गलती हो गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

आस मोहम्मद उर्फ झल्ला पुत्र हारुन निवासी ईदगाह के पास महाराजपुर थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद मूल पता ग्राम रामपुर थाना चाचौल पश्चिम बंगाल उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

स्मैक (हेरोईन) कुल वजन 36 ग्राम, 820 रूपये नगद व 01 मोबाईल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त आस मोहम्मद उर्फ झल्ला पुत्र हारुन उपरोक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

परिकल्पना (Vision)

" पुलिस की भूमिका केवल कानून प्रवर्तन तक सीमित नहीं — यह समाज के प्रति एक जीवंत संवाद है। आधुनिक तकनीक, नैतिक दृढ़ता और मानवीय संवेदनशीलता के समन्वय से जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना हमारा लक्ष्य है।"

उपस्थित गणमान्य

पुलिस आयुक्त • अपर पुलिस आयुक्त HQ • अपर पुलिस आयुक्त (का०व्य०) • डीसीपी सिटी • डीसीपी रूरल • डीसीपी ट्रैफिक • एडीसीपी अपराध • समस्त एसीपी • मीडियाकर्मी • विशिष्ट अतिथिगण

उद्घाटन — आस्था से अत्याधुनिक कार्यालयों तक

दिनांक 02.04.2026 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा अपराध शाखा परिसर, लोहिया नगर में नवनिर्मित एवं उन्नत सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1976 में स्थापित यह परिसर जिले की कानून व्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। आज इसे नई ऊर्जा, नई सोच और नए संकल्प के साथ एक आधुनिक, जन-हितैषी केंद्र के रूप में पुनर्जीवित किया गया है।

उद्घाटन की प्रमुख झलकियाँ

1	2	3	4	5
मंदिर	ADCP	RO • प्रतीक्षालय	LIU	कैफेटेरिया
प्राण प्रतिष्ठा	कार्यालय	हरित उद्यान	कार्यालय	सेवक सम्मान

1. प्राण प्रतिष्ठा — श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर (पूर्व से स्थापित)

परिसर में पूर्व से स्थापित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा श्रद्धापूर्वक सम्पन्न कराई गई। यह आयोजन पुलिस बल की अटूट आस्था, नैतिक दृढ़ता और जनसेवा में धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

2. एडीसीपी कार्यालय — कुशल नेतृत्व, सक्षम प्रशासन

अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP) का नवीन कार्यालय स्थापित किया गया, जो संचालन दक्षता, कमान श्रृंखला को सुदृढ़ करने तथा समन्वित निर्णय क्षमता हेतु आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है।

3. आरओ प्लांट | प्रतीक्षालय | हरित उद्यान — नागरिक सेवा में गरिमा

नागरिक कल्याण की भावना से तीन महत्वपूर्ण सुविधाओं का लोकार्पण किया गया:

- ▶ RO वाटर प्लांट — कर्मियों एवं आगंतुकों हेतु स्वच्छ पेयजल।
- ▶ नागरिक प्रतीक्षालय — शिकायत या सहायता हेतु आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक, सुविधाजनक प्रतीक्षा-स्थान।
- ▶ हरित उद्यान — भगवान शिव की प्रतिमा की स्थापना एवं पार्क के मध्य स्थापित इस प्रतिमा से उद्यान की भव्यता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह नागरिकों के हित में समर्पित है तथा बच्चों के लिए क्रीड़ा-क्षेत्र भी प्रदान करता है।

4. LIU कार्यालय — सुरक्षित कल के लिए तत्पर आज

स्थानीय खुफिया इकाई (LIU) के अत्याधुनिक कार्यालयों का उद्घाटन किया गया, जो सूचना संग्रहण, खतरे के आकलन और समय पर कानून प्रवर्तन हेतु पूर्णतः सुसज्जित हैं। ये कार्यालय नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

5. कैफेटेरिया — सेवकों का सम्मान, उनकी ऊर्जा का स्रोत

परिसर के पूर्व उपेक्षित क्षेत्र में आधुनिक कैफेटेरिया स्थापित किया गया, जहाँ तैनात कर्मियों एवं आगंतुकों को स्वच्छ एवं पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध होगा — यह पुलिस कर्मियों की निरंतर सेवा के प्रति विभाग की कृतज्ञता का प्रतीक है।